E-mail: cfshiwalik@yahoo.co.in



## कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- २३१। १ १२-१८)दिनांक, देहरादून ०८, जून, २०२१

सेवा में.

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

प्रस्ताव सं0-FP/UK/ROAD/37612/2018 जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगांव से नाहींकलां तक मार्ग के निर्माण हेतु 3.238 हैं0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेत् लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के संबंध में।

संदर्भ :

आपके द्वारा लगाई गई ऑनलाईन आपित दिनांक 12.04.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव संख्या–FP/UK/Road/37612/2018 पर आपके द्वारा लगाई गई बिन्दुवार आपित्तयों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के पत्रांक 4928/12–1 दिनांक 01.06.2021 के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसे मय संलग्नकों सहित मूल में संस्तुति सहित आपको अग्रसारित किया जा रहा है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

( अखिलेश तिवारी )

वन संरक्षक,

शिवालिक वृत्त, देहरादून।

पत्रांक 231) / ) २०) () तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को उनके उपरोक्त उल्लिखित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

( अखिलेश तिवारी )

वन संरक्षक

शिवालिक वृत्त, देहरादून।

दूरभाष : (0135)–2627612, फैक्स : (0135)–2627950 ई–मेल : dfodoon@gmail.com



## कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक :4928/12-1

देहरादून, दिनांक : | - र्रिअलेन, 2021.

सेवा में, वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून। विषय: जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगाँव से नाहींकलां तक मार्ग के निर्माण हेतु 3.238 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण (Online No. FP/UK/Road/37612/2018)

सन्दर्भः आपका कार्यालय पत्रांक 8बी०/यू०सी०पी०/०६/८८/एफ०सी०/२५३१ दि० २६.०३.२०२१. महोदय

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से लगायी गयी आपित्तयों के क्रम में इस कार्यालय व प्रस्तावक विभाग के स्तर पर निराकरण कर दिया गया है। इसी पिरप्रेक्ष्य में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक—195/23 सी० दिनांक 06—04—2021 (सलंग्न) के द्वारा मय अभिलेखों के सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित आपित्तयों का बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्न प्रकार दर्शित है:—

1	In reply to point no 1 Following about	
	In reply to point no. 1. Following observations noticed in respect of muck disposal:	
(a)	Nodal Officer submitted that complete 4-463 ha area	
	in Non-forest Land selected for muck disposal which	
	does not appear correct because as per bar chart some	बिन्दु सं0–1 के उप बिन्दु—(a) से उप
	alignment of road is also proposed in non forest area.	बिन्दु-(e) के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग द्वारा
	Further as per muck disposal plan 1.7549 ha area	
	selected for muck disposal. State Government may	संशोधित मक डिस्पोजल प्लान व तत्सम्बन्धित
	submit details and clarification in this regard.	प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो संलग्न
(b)	Swell factor still not including in much disposal plan.	है।
	State Government may include the swell factor in the	
	muck disposal plan.	
(c)	It is seen that 7 muck dumping site selected in Non-	
	forest Land and the area & carrying capacity of all	
	seven sites are same i.e. 0.2507 ha & 13790 cum	
	which is highly improbable. State Government may	
	submit clarification in this regard.	
(d)	State Government may Mark the location of all muck	
	dumping site in KML file and upload the same at Para	DIMAN
	C (ii) (b) in part I online.	
(e)	State government is requested to submit detailed	h/
	muck disposal plan based on scientific Study duly	OF
	authenticated by DFO.	120
		3/6

(ii)	In reply to point no. 2. State Government is again requested to restrict the road up to point no. 35.	इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधित प्रतिवेदन संलग्न है।	
(iii)	In reply to point no. 3 Following observations are notices:-		
(a)	In reply to point no.4 of EDS dated 13-08-2020. It is submitted That no alternate possible and more tree affecting in alternated. State Government is again requested to upload the details of same at Para D (ii)a in Part I and submit the comparative chart duly authenticated by DFO.	उक्त क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।	
(b)	In reply to point no. 10 of EDS dated 13-08-2020. Road distance found uploaded instead of aerial distance. State Government may uploaded the aerial distance certificate.	उक्त क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।	
(c)	In reply to point no. 11 of EDS dated 13-08-2020. Still complete 3.238 ha area mentioned as reserve forest in DFO's SIR State Government may submit clarification and submit correct SIR.	उक्त आपित्त के क्रम में सम्बन्धित स्थल निरीक्षण आख्या (SIR) संलग्न है।	
(d)	In reply to point no. 16 of EDS dated 13-08-2020, submitted that 2450.5851 ha area diverted but the same still not corrected at Para 14 in part II. State Government may fill the same in District profile at Para 14 in part II.	वांछित सूचना पार्ट—II के पैरा—14 में यथा संशोधित कर दी गयी है।	
(e)	In reply to point no. 17 of EDS dated 13-08-2020, still no comments made by DFO against Para 5.3 in his SIR. State Government may provide the SIR of DFO with his comments against Para 5.3.	स्थल निरीक्षण आख्या (SIR) में उक्त पैरा 5.3 के सापेक्ष टिप्पणी अंकित करते हुए संशोधित निरीक्षण आख्या अतिरिक्त सूचना के रूप में पार्ट–2 में अपलोड किया गया है।	
(iv)	In reply to point no. 4 details of trees now uploaded in cm but the details mentioned at Para 4 in part II are not matching with details submitted in tree enumeration list. State Government may remove this discrepancy and submit the correct information/document.	उक्त आपित के क्रम में स्पष्ट करना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु चिन्हित भूमि यथा आरक्षित वन नाहीं कक्ष सं0—2, नाहीं कक्ष सं0—3 व नाहीं कक्ष सं0—4 में विभिन्न प्रजाति/व्यासवर्ग के 211 वृक्ष तथा ग्राम समाज (Civil Land) पर विभिन्न प्रजाति/व्यासवर्ग के 179 वृक्ष बाधक हैं। अर्थात आरक्षित वन भूमि पर 211 वृक्ष व सिविल भूमि पर 179 वृक्ष कुल 390 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें पार्ट—II के पैरा—4 में दर्शाया गया है। शेष 134 वृक्ष नाप भूमि (Private Land) पर विद्यमान हैं, जिनको परिवेश पोर्टल के पार्ट—II में अंकित नहीं किया गया है।	

In reply to point no. 5 Nodal officer submitted that (v) revised inspection report of CF correcting number of trees has been uploaded but the same is not found uploaded online. State Government may submit clarification and submit/upload the revised inspection report of CF mentioning correct number of trees.

उक्त प्रस्ताव के क्रम में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून की स्थल निरीक्षण आख्या (SIR) अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है।

अतः उक्तानुसार आख्या मय अभिलेखों के अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय.

प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : ५ १२४ (1)/

तददिनांकित।

प्रतिलिपि : अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून

को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी